The Gairsain Development Council Act, 2014

Act No. 26 of 2014

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

क्रम संख्या– 197

पंजीकृत संख्या–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बुधवार, 03 दिसम्बर 2014 ई0
अग्रहायण,12, 1936 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
संख्या 311 / xxxvi(3)/2014/85(1) / 2014
देहरादून, 03 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना
विविध

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद विधेयक, 2014 को दिनांक 02 दिसम्बर, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2014 के रूप में सर्व–साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद अधिनियम, 2014
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 26 वर्ष 2014)

(भारत गणराज्य के 65वें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद और उससे संबंधित आनुषांगिक विषयों के विनियम के लिये–

अधिनियम

"भारत गणराज्य के 65वें वर्ष में विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो"

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गैरसैंण विकास परिषद अधिनियम, 2014 है।

(2) इस का विस्तार जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण तथा जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया क्षेत्र में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएँ

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से या अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) **"परिषद"** से धारा 4 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित उत्तराखण्ड राज्य गैरसैंण विकास परिषद अभिप्रेत हैं,

(ख) **"विहित"** से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है,

(ग) **"सरकार"** से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है,

(घ) **"अध्यक्ष"** से गैरसैंण विकास परिषद का अध्यक्ष अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत उसके सदस्य भी हैं।

(ड) **"सह–अध्यक्ष"** से गैरसैंण विकास परिषद का सह–अध्यक्ष अभिप्रेत हैं,

(च) **"वित्तीय वर्ष"** से माह अप्रैल की पहली तारीख से प्रारम्भ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष अभिप्रेत है,

(छ) **"मुख्य कार्यकारी अधिकारी"** से परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिप्रेत है।

(ज) **"अवस्थापना विकास"** से अवस्थापना विकास से सम्बन्धित समस्त योजनायें यथा सड़क, विद्युत, स्वच्छता, जल सम्भरण तथा अन्य नागरिक सुविधाएं एवं आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था हेतु योजना एवं क्रियान्वयन अभिप्रेत हैं।

अध्याय–दो

परिषद के कृत्य

3. परिषद निम्न कार्यों का निर्वहन करेगी–

(1) गैरसैंण एवं चौखुटिया विकास खण्ड में अवस्थापना विकास से सम्बन्धित समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन करना।

(2) परिषद क्षेत्र के नियोजित विकास के लिए मास्टर/जोनल प्लान लागू कराना।

(3) परिषद क्षेत्र के विकास हेतु यथा आवश्यक विभिन्न प्रकार की नई योजनायें तैयार कर सुनियोजित रीति से समेकित विकास सुनिश्चित करना।

(4) परिषद क्षेत्र में जन समस्याओं के निस्तारण हेतु कार्य योजना तैयार कर संस्तुति सहित शासन को संदर्भित करेगी।

(5) केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा पोषित योजनाओं को विकास क्षेत्र में लागू किये जाने हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को उपलब्ध करायेगी।

(6) परिषद क्षेत्र में सड़क, विद्युत, स्वच्छता, जल सम्भरण तथा अन्य नागरिक सुविधाओं एवं आवश्यक सेवाओं की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। विकास योजनाओं में जल संसाधन, भू–उपयोग, कृषि विकास, क्षेत्र का विकास और अन्य सम्बन्धित विषय सम्मिलित होंगे।

(7) परिषद क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न निधियों से प्राप्त धनराशि के समुचित उपयोग किये जाने की समीक्षा करेगी।

(8) परिषद क्षेत्र की लोक शिकायतों के निस्तारण हेतु प्रभावी निस्तारण तन्त्र की व्यवस्था।

(9) राज्य सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं का क्षेत्र के विकास के दृष्टिगत क्रियान्वयन हेतु नीति बनाना।

(10) परिषद क्षेत्र में राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को चिन्हित करते हुए उक्त भूमि को प्राप्त किये जाने एवं उस पर आवासीय/व्यावसायिक एवं अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु प्रस्ताव तैयार करना।

(11) परिषद क्षेत्र में यातायात, परिवहन तथा प्रदूषण सम्बन्धी समस्याओं को नियंत्रित रखने हेतु रूपरेखा तैयार करना।

(12) परिषद क्षेत्र में स्थायी विकास के लिये प्राकृतिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु विकास योजनाओं का परिकल्पन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

(13) पर्यावरणीय संरक्षण के उद्देश्य से क्षेत्र में वृक्षारोपण तथा चारे के रूप में प्रयुक्त होने वाले पौधों की प्रजातियों का रोपण जिससे भूमि संरक्षण तथा जल सम्भरण सुनिश्चित हो सके।

(14) परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था से, जिन्हें परिषद द्वारा वांछनीय समझा जाए, शासन की पूर्वानुमति से आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति, अनुदान एवं रियायतें प्राप्त करना तथा इन्हें प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना और ऐसी व्यवस्था का प्रयोग तथा अनुपालन करना।

(15) स्थानीय रोजगारोन्मुख योजनाओं जिनमें स्थानीय/खेती/उत्पादन एवं कुटीर उद्योग सम्मिलित हैं का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

(16) ऐसी अन्य विकासोन्मुखी योजनाएं जो परिषद के क्षेत्रान्तर्गत समेकित विकास के लिए आवश्यक हो, का नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।

(17) गैरसैंण विकास परिषद द्वारा मात्र अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्य सम्पादित किये जायेंगे तथा इससे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है तथा उपरोक्त स्थानीय निकायों द्वारा जो कार्य सम्पादित किये जायेंगे उसमें गैरसैंण विकास परिषद का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

अध्याय–तीन

परिषद का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि तथा अन्य शर्तें

परिषद का गठन

4\. (1) जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण तथा जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड चौखुटिया के क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के सुनियोजित विकास हेतु गैरसैंण विकास परिषद के नाम से ज्ञात एक परिषद स्थापित होगी।

(2) परिषद का मुख्यालय जनपद चमोली के गैरसैंण में होगा।

परिषद का अध्यक्ष/सदस्य

5\. (1) परिषद निम्नलिखित से संरचित होगीः–

(क) अध्यक्ष, विधान सभा अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति–अध्यक्ष

परन्तु यह कि अध्यक्ष, विधान सभा उपाध्यक्ष, विधान सभा को अथवा विधान सभा के किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कर्त्तव्यों/कार्यों के निर्वहन के लिए अपनी शक्तियां प्रतिनिधानित कर सकेंगे।

(ख) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट एक व्यक्ति–सह–अध्यक्ष

(ग) स्थानीय विधायक–सदस्य

(घ) वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा वित्त विभाग का अपर सचिव –पदेन सदस्य

(ङ) लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा लोक निर्माण विभाग का अपर सचिव –पदेन सदस्य

(च) पेयजल विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा पेयजल विभाग का अपर सचिव –पदेन सदस्य

(छ) ऊर्जा विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा ऊर्जा विभाग का अपर सचिव –पदेन सदस्य

(ज) सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा सिंचाई विभाग का अपर सचिव –पदेन सदस्य

(झ) आवास विभाग उत्तराखण्ड शासन का प्रमुख सचिव/सचिव अथवा आवास विभाग का अपर सचिव –पदेन सदस्य

(ञ) जिलाधिकारी, चमोली—पदेन सदस्य

(ट)नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का मुख्य/वरिष्ठ नगर नियोजक—पदेन सदस्य

(ठ) अध्यक्ष, नगर पंचायत गैंरसैंण—सदस्य

(ढ) प्रमुख, विकास खण्ड गैरसैंण —सदस्य

(ड) प्रमुख, विकास खण्ड चौखुटिया—सदस्य

(ण) शासन द्वारा नाम निर्दिष्ट दस महानुभाव जिन्हें नियोजन, वित्त तथा लेखा, लोक प्रशासन, समाज सेवा, शिक्षा, विधि, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, नगर नियोजन, वानिकी, लोक निर्माण, रोजगार, पर्यावरण अथवा लोक समस्या निवारण के क्षेत्र का विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव हो—सदस्य

(त) मुख्य कार्यकारी अधिकारी—सदस्य सचिव

सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें

6. (1) पदेन सदस्यों को छोड़कर परिषद के अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। जबकि स्थानीय विधायक, नगर पंचायत अध्यक्ष एवं विकास खण्डों के प्रमुख का कार्यकाल, उनके इन पदों पर रहने तक होगा।

(2) यदि अध्यक्ष/सह–अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्य परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को प्रेषित करेगा तथा राज्य सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार हो जाने की तिथि से उसकी सदस्यता रिक्त मानी जाएगी।

(3) परिषद के अध्यक्ष, सह अध्यक्ष तथा गैर सरकारी सदस्यों को वे सुविधाएं प्रदत्त की जाएंगी जो राज्य सरकार विहित करे। पदेन सदस्य के रूप में कार्यरत सदस्यों को अलग से सुविधा नहीं दी जायेगी।

अध्याय–चार

विविध

परिषद के अधिकारी एवं उनके दायित्व

7. (1) परिषद के सदस्य सचिव परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे जो वरिष्ठ पी0सी0एस0 अधिकारी होंगे। परिषद की ओर से निधियों के आहरण तथा वितरण का अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी में निहित होगा।

(2) वित्त अधिकारी राज्य सरकार द्वारा वित्त सेवा के अधिकारियों में से नियुक्त किया जायेगा।

(3) वित्त अधिकारी परिषद के वित्तीय अनुशासन एवं अभिलेखों के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए आवश्यकतानुसार राज्य सरकार किसी सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी।

(5) परिषद के सुगम कार्य संचालन हेतु शासन की अनुमति से आवश्यकतानुसार तकनीकी एवं गैर तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा ऐसी शक्तियों, कृत्यों तथा सेवा की ऐसी शर्तों के साथ होगी जैसा सरकार द्वारा विहित किया जाये।

परन्तु यह कि जब तक परिषद के संगठनात्मक ढांचे हेतु पदों का सृजन, अहर्ताओं के निर्धारण आदि सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक मुख्य विकास अधिकारी चमोली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे तथा अध्यक्ष के अनुमोदन पर उनके द्वारा तकनीकी एवं गैर तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी परिषद के कार्यों हेतु प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

अध्याय–पाँच

परिषद की बैठकें गणपूर्ति एवं सदस्यों का हटाया जाना

8.(1) परिषद की वर्ष में न्यूनतम चार बैठकें होंगी।

परन्तु यह कि अध्यक्ष की अनुमति से जब भी आवश्यक हो, बैठक आहूत की जा सकेगी।

(2) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता सह–अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(3) परिषद की बैठक के लिए परिषद के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति हेतु आवश्यक होगी।

(4) बैठक में निर्णय सर्वसम्मति से लिये जायेंगे, किन्तु सर्वसम्मति न होने की दशा में बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़ कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, परन्तु यह कि अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा, किन्तु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग कर सकेगा।

(5) परिषद की बैठक अध्यक्ष के अनुमोदन से सदस्य सचिव द्वारा ऐसे स्थान, तिथि तथा समय पर बुलाई जायेगी जैसा कि अध्यक्ष नियत करें।

(6) परिषद की वार्षिक सामान्य बैठक मे पूर्ववर्ती वर्ष में परिषद द्वारा सम्पन्न किए गये कार्यों की समीक्षा की जायेगी एवं भावी कार्ययोजना निर्धारित की जायेगी।

(7) परिषद विस्तार क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं के निर्माण, विस्तारीकरण अथवा यथा आवश्यकता अन्य रूपान्तरण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेगी। तकनीकी स्वीकृति शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करनी होगी।

(8) उपरोक्त के अतिरिक्त परिषद का कार्य इस प्रकार तथा ऐसी प्रक्रियानुसार संचालित किया जायेगा जो परिषद विनियम द्वारा निर्धारित करे।

(9)(एक)परिषद के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त अन्य समस्त अर्द्धसरकारी तथा गैर सरकारी सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा इनका मनोनयन समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार का होगा एवं राज्य सरकार का विनिश्चिय अंतिम होगा।

(दो) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाए कि परिषद–

अपने कार्यों के निष्पादन में अक्षम है अथवा बार–बार इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे दिये गये दायित्वों के निर्वहन में असफल रहती है अथवा अपनी शक्तियों का अतिक्रमण अथवा दुरूपयोग करती है तो राज्य सरकार राजपत्र सम्यक रूप से में अधिसूचना प्रकाशित कर आदेश द्वारा परिषद को भंग अथवा पुनर्गठित कर सकती है। परिषद के भंग होने पर परिषद के समस्त कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करने हेतु राज्य सरकार स्वतन्त्र होगी। परिषद की समस्त सम्पत्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी।

अध्याय–छः

वित्त और लेखे

सामान्य निधि

9. (1) परिषद के पास एक सामान्य निधि होगी जिसमें–

(2) ऐसी शर्तों पर, जैसी अधिरोपित की जाये राज्य सरकार से प्राप्त संकलन अथवा अनुदान,

(3) केन्द्र अथवा किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य संस्था से प्राप्त आर्थिक सहायता, क्षतिपूर्ति अथवा अनुदान द्वारा जमा की जायेगी।

(4) परिषद के पास कई अन्य ऐसी निधियां होंगी जैसा सरकार द्वारा निहित किया जाये।

(5) परिषद की निधि के संचालन हेतु समस्त वित्तीय अधिकार परिषद में निहित होंगे।

वित्तीय आंकलन

10. (1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी परिषद के वित्तीय वर्ष का वित्तीय आंकलन ऐसी रीति से तैयार कर, जैसा विहित किया जाये, परिषद की बैठक में विचार हेतु प्रस्तुत करेगा। वह परिषद के अनुमोदन के पश्चात् वित्तीय आकलन सरकार को आय–व्ययक व्यवस्था के लिये प्रस्तुत करेगा।

(2) सरकार वित्तीय आकलन ऐसे उपान्तरण के साथ अनुमोदित कर सकेगी जैसा वह उचित समझे और ऐसा कोई व्यय सरकार द्वारा अनमोदित वित्तीय आकलन के अतिरिक्त नहीं किया जायेगा।

वार्षिक लेखे और लेखा परीक्षा 11. (1) परिषद के वार्षिक लेखे मुख्य कार्यकारी अधिकारी के निर्देशन के अधीन तैयार किये जायेंगे और उस की एक प्रति सरकार को भेजी जायेगी।

(2) परिषद के लेखे की सम्परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षकों से कराएगी जो परिषद अथवा शासन द्वारा निर्धारित हो।

(3) राज्य सरकार जब कभी आवश्यक समझे, समय–समय पर परिषद को उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता/अनुदान के व्यय उपरांत परिषद के लेखों की परीक्षा ऐसे लेखा परीक्षकों, जैसा वह नियत करे, करा सकेगी।

नियम बनाने की शक्ति 12. राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

विनियम बनाने की शक्ति 13. परिषद, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे विनियम बना सकेगी जो इस अधिनियम और इसके अधीन निर्मित नियमों से असंगत न हों।

सद्भावपूर्ण की गयी कार्यवाही के लिये संरक्षण 14. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या किये जाने के लिये आशयित किसी बात के लिये अभियोजन या अन्य विहित कार्यवाही परिषद के किसी प्राधिकारी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नहीं होगी।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति 15. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई आती है, तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाई को जिसे वह निराकरण करने के प्रयोजन के लिये आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा आदेश कर सकती है।

(2) इस धारा के अधीन प्रकाशित प्रत्येक आदेश इसके प्रकाशन के पश्चात यथाशीघ्र विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे।

————————————

THE GAIRSAIN DEVELOPMENT COUNCIL ACT, 2014
(UTTARAKHAND ACT NO. 26 OF 2014)

(It is hereby Promulgated by the Governor in the Sixty Fifth Year of Republic of India)

AN
ACT

Be it enacted in the Sixty fifth year of the Republic of India by the Uttarakhand Legislative Assembly as follows :-

CHAPTER 1
PRELIMINARY

Short Title, Extent and Commencement

1. (1) This Act may be called the Gairsain Development Council Act, 2014.
(2) It extends to Block Gairsain of District Chamoli and Block Chaukhutiya of District Almora.
(3) It shall come into force at once.

Definitions

2. In this Act unless the context otherwise requires –
(a) **"Council"** means Gairsain Development Council; constituted by sub section (1) of section 4.
(b) **"Prescribed"** means, Rules prescribed by this Bill
(c) **"Government"** means Government of Uttarakhand;
(d) **"Chairman"** means Chairman of Gairsain Development Council;
(e) **"Co-Chairman"** means Co- Chairman of Gairsain Development Council;
(f) **"financial year"** means year commencing from 1^{st}. April and ending on 31^{st}. March of the next calendar year.
(g) "**Chief Executive Officer"** means Chief Executive Officer of the Council.
(h) "**Infrastructure Development"** means all projects relating to Infrastructure Development such as projects relating to roads & electrification, cleanliness, water conservations and other civil facilities and other essential services and their implementation.

CHAPTER II

Functions of the Council

3. Functions of the council will be as under :-

(1) to implement and conduct all projects relating to infrastructural development in the Development Blocks of Gairsain and Chaukhutiya.

(2) to implement Master/ Zonal Plan within the council area for planned development.

(3) to ensure complete development by preparing as necessary various types of new schemes in planned manner.

(4) to forward to the Government duly recommended schemes for disposal of public grievances of the council area.

(5) to provide proposals for enforcing the schemes supported by the Central /State Government within the development area to the State Government.

(6) to ensure roads, electrification, cleanliness, water conservation and other civil facilities and to ensure arrangement of essential services. Development schemes will include water resources, land use, agriculture development, development of the area and other related subjects.

(7) to review proper utilization of the funds received from various sources.

(8) to make arrangement of effective disposal system for public grievances within the council areas.

(9) to frame policy for implementation of various development schemes of the State Government keeping in view the development of the council area.

(10) to earmark the land owned by the State Government within the council area and to prepare the proposal for obtaining the same and to prepare proposal for development of residential/ commercial infrastructure facilities thereon.

(11) to prepare synopsis for controlling of problems relating to traffic, transportation and pollution within the council area.

(12) to presume, implement and monitor development schemes for the maximum utilization of natural resources for permanent development of council area.

(13) for the environmental conservation in the council area to undertake plantation of trees and various kind of plants used for cattle feeding to ensure soil conservation and water conservation.

(14) in order to fulfill the objects of the council, to receive financial help, compensation, grants and concessions from Central or other State Government or any other agency, which the council deems necessary, with prior approval of the State Government and further in order to receive the aforesaid to coordinate with said agencies and to use and comply with the said arrangements.

(15) to plan, implement, and monitor schemes towards employment generation, which include local/ farming/production and small scale industries.

(16) to plan, implement, and monitor such other schemes towards development which are necessary for integrated development of the council area.

(17) Gairsain Development Council shall perform the work of infrastructure development only and no rights of Village Panchayat, Nagar Panchayat, Chetra Panchayat & District Panchayat are being encroached. The works being done/performed by the aforesaid local bodies shall have no interference of the Gairsain Development Council.

CHAPTER –III

Establishment of Council, Term of Members and other Conditions

Establishment of Council

4- (1) A council shall be established to be known as "Gairsain Development Council" for the planned development of infrastructure facilities for the Gairsain Block of District Chamoli and Chaukhutiya Block of District Almora.

(2) The Head Quarter of the Council shall be at Gairsain in District Chamoli.

Chairman and member of Council

5. (1) The council shall consist of the following members :-

(a) Chairman, Legislative Assembly or any person nominated by him - Chairman.

Provided that Chairman, Legislative Assembly may delegate his power to the Vice Chairman, Legislative Assembly or any other member of the Legislative Assembly to pergorm the duties and functions of Chairman.

(b) One member to be nominated by the State Government - Co- Chairman

(c) Local Member of Legislative Assembly - Member

(d) Principal Secretary/ Secretary to the Department of Finance of the Government of Uttarakhand, or the Additional Secretary to the Department of Finance -ex officio Member

(e) Principal Secretary/ Secretary to the Public Works Department or the Additional Secretary to the Public Works Department. - ex officio Member

(f) Principal Secretary/ Secretary to the Department of Peyjal or the Additional Secretary to the Department of Payjal - ex officio Member

(g) Principal Secretary/ Secretary to the Department of Energy or the Additional Secretary to the Department of Energy. - ex officio Member

(h) Principal Secretary/ Secretary to the Department of Irrigation or the Additional Secretary to the Department of Irrigation - ex officio Member

(I) Principal Secretary/ Secretary to the Department of Housing or the Additional Secretary to the Department of Housing. - ex officio Member

(j) District Magistrate, Chamoli - ex officio Member

(k) The Chief/ Senior Town Planner of the Town and Country Planning Department - ex officio Member

(l) Chairman, Nagar Panchyat, Gairsain - Member

(m) Pramukh, Block Development, Gairsain - Member

(n) Pramukh, Block Development, Chaukhutiya - Member

(o) Ten magnanimous persons to be nominated by the State Government, who have special knowledge and experience in the field of planning, finance and accounts, public administration, social service, education, legal, technical education, industrial training, agriculture industry, health, urban planning, forestry, public works, employment, environment, or public grievance redressal. - Member

(p) Chief Executive Officer - Member Secretary

Terms and Service Conditions of the Members

6. (1) The term of the members of the Council, other than ex-officio members, shall be of three years. Whereas the term of the Local Member of Legislative Assembly, Chairman Nagar Panchyat and Pramukhs of Block Development shall be till the time they hold their said office.

(2) If the Chairman/ Co-Chairman and non official member wants to resign from the membership of the Council, he shall address and forward his resignation to the State Government and on the acceptance of the same by the State Government, his post shall be treated as vacant from the date of acceptance of the resignation.

(3) Chairman/Co-Chairman and non official member shall be provided such facilities which the State Government may prescribed. Members of the council as Ex-Officio shall not be provided additional facilities.

CHAPTER –IV

Officers of the Council and their libelities

7. (1) Chief Executive Officer shall be the Member Secretary of the Council who shall be the Senior P.C.S Officer. The Power to withdraw and disburse the funds of the Council shall vest in the Chief Executive Officer.

(2) The Finance Officer Shall be appointed by the State Government from the officers of the Finance Service.

(3) The Finance Officer shall be responsible for Financial Discipline and its Records.

(4) The State Government may appoint a Competent Officer for effective implementation of the provisions of this Ordinance.

(5) Appointment of technical and non technical officers/employees with such powers and service conditions, necessarily required for the smooth working and operation of the Council, with prior approval of the State Government will be made by such procedure which the State Government may prescribe;

Provided that till the exercise for creation of posts, eligibility requirement etc. for organizational structure is not completed, the Chief Development Officer – Chamoli will be the Chief Executive Officer of the Council and on the approval of Chairman the appointment of technical / non technical officers/ employees can be made on deputation for the execution of works of the Council.

Chapter – V
Miscellaneous

Meetings of the Council Quorum & Removal of the Member

8. (1) Minimum four Meetings shall be conducted by the Council in a year.

Provided that the Meeting of the Council can be called with the permission of the Chairman as and when needed.

(2) The Meeting shall be Chaired by the Chairman of the Council and in his absence by Co-Chairman.

(3) For the meeting of the council minimum presence of one – third members of the council shall be necessary to complete the quorum.

(4) All decisions in the meeting shall be taken with consensus, but in the absence of consensus amongst the members, determination of all the questions shall be made as per majority of the present members and voting members, except for the Chairman or any other person acting as Chairman;

Provided the Chairman or any person acting as Chairman shall not vote in the first place, but in case of equal votes, he may use his voting right and his vote shall be the determinative vote.

(5) The meeting of the council shall be called by the Member Secretary of the Council with prior approval of the Chairman at such place, date and time, as the Chairman may fix.

(6) The works done in the previous year by the council shall be reviewed in the Annual General Meeting of the council, and future action plans will be determined.

(7) The council may accord financial and administrative sanction for the construction of infrastructural facilities, expansion or other transformation as per requirement in the council extent area. The technical sanction shall required to be taken from the competent level as per the procedure determined by the State Government.

(8) Except for the above, work of the council shall be conducted as per procedure, which the council by determine by regulation.

(9) (i) Right to nominate and to terminate all semi- government and non-official members, except for the ex-officio members of the council, will be of the State Government and the decision of the State Government shall be final.

(ii) Where the State Government is satisfied that the council is inefficient in execution of its works or has failed to perform its duties as allocated to it by this Act, or has encroached or misused its powers, the State Government may, by an order duly Notified in the Gazette may dissolve/ re-organize the council. On the Council having been dissolved, the State Government will be at liberty for carrying out the works and functions of the Council. All properties of the Council shall vest in the State Government.

CHAPTER – VI

Finance and Accounts

General Fund 9. (1) The council shall have a general fund, which shall include :-

(2) collection or grants from the State Government on such conditions which may be imposed,

(3) financial help, compensation or grant received from the Central or any other State Government or any other agency,

(4) The council shall have such other funds, which the State Government may determine.

(5) All financial rights for the operation of the funds shall vest with the council.

Financial Assessment

10. (1) The Chief Executive Officer of the council shall prepare the financial assessment for the financial year as per procedure, which may be prescribed, and shall present the same in the meeting of the council. He shall, after the approval of the council, submit the financial assessment to the State Government for income and expenditure administration.

(2) The State Government may approve the financial assessment with such alteration as it may deem fit and no other expenditure except approved in the financial assessment by the State Government, shall be incurred by the council

Annual Accounts and Audits

11. (1) Annual accounts of the council shall be prepared under the instructions of the Chief Executive Officer and a copy thereof shall be sent to the State Government.

(2) The accounts of the council will be got examined from such examiner of accounts, who are approved by the council or the State Government.

(3) The State Government as and when deems fit and necessary, may from time to time get the accounts of the council examined after the expenditures having been incurred by the council from the financial help/ grants accorded by the State Government, from such accounts examiners which it may determine.

Power to make Rules

12. The State Government may by notification in the Gazette make rules for carrying out the purposes of this ordinance.

Power to make Regulation

13. The Council may with the previous approval of the State Government make regulations not inconsistent with this Act & rules made there under.

Protection of action taken in good faith

14- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Competent Officer/Employee of the Council for anything which is done in good faith done or intended to be done under the provisions of this Act.

Power to remove the difficulties -

15. (1) In case of any problem which arises in the execution of the provisions of this Ordinance, the State Government may, if it considers necessary for the purpose of the removal of the same, may order by Notification.

(2) Every order published under this Section after its publication shall be kept as soon as possible before the Legislative Assembly.